न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः बीना महावर, आर०ए०एस०)

अपील संख्या 11/2021

देवी पुत्र चरनसिंह जाति गुर्जर निवासी खेरीडांग तहसील बयाना जिला भरतपुर

.......अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार बयाना

.......रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 18.02.2021 तहसीलदार बयाना। पत्रावली संख्या 01/2021 उनवानी राजस्थान सरकार बनाम देवी अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :– 1. श्री हेमराज शर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 28.07.2021

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्व रैस्पोडेन्ट व खिलाफ आदेश तहसीलदार बयाना दिनांक 18.02.2021 पेश की गई है। तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपीलान्ट को अतिक्रमी आराजी खसरा नम्बर 1722 रकवा 5.25 हैक्ट0 वाके ग्राम खेरीडांग की सिवायचक भूमि से बेदखल कर पैनल्टी एवं 90 दिवस की सिविल कारावास की आज्ञा दी गई है। उक्त आदेश के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अपील दर्ज रजिस्टर कर रैस्पो0 एवं तहत पत्रावली तलब की गई। मूल तहत पत्रावली शामिल मिसिल है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुये जाहिर किया कि अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्व एवं पत्रावली के तथ्यों के विपरीत होने के कारण काविल खारिजी के है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि अधी0 न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि विवादित भूमि खण्ड पर अपीलांट का कोई नाजायज कब्जा नहीं है, इस बाबत पटवारी हल्का ने अपीलांट को विवादित भूमिखण्ड को नापकर कभी भी अबगत नहीं कराया है। अपीलान्ट को नोटिस मिलने पर अधी0 न्यायालय में उप0 होकर लिखित में यह अंडरटेकिंग दे दी थी कि यदि अपीलांट का कब्जा पाया जाता है, तो उसे चिन्हित कर दें, वह मौके पर से कब्जा हटाने को तैयार है, फिर भी सुयोग्य अधी0 न्यायालय ने 90 दिन के सिविल कारावास की सजा देने में कानूनी भूल की है, पत्रावली पर इस प्रकार का कोई रिकार्ड नहीं है, जिससे यह सावित होता हो कि अपीलांट को पहले वास्तव में कभी मौके से वेदखल कर दिया गया हो व बाद में पुनः सरकारी भूमि पर नाजायज कब्जा कर लिया हो, उसे पश्चातवर्ती अतिक्रमी अवैधानिक रुप से माना गया है, सुयोग्य अधी0 न्यायालय ने अपीलांट का पश्चातवर्ती कब्जा मानकर सजा देने में कानूनी भूल की है। अपीलांट को साक्ष्य पेश करने तक का कोई मौका नहीं दिया गया है, पटवारी से जिरह करने का मौका भी नहीं दिया गया है, पूर्व में पारित तथाकथित आदेश की कापी पेश नहीं की है, तहसीलदार जी ने मौके पर जाकर स्वयं ने अतिक्रमण की पुष्टि नहीं की है, मात्र पटवारी के बयान पर विस्वास करके अपीलांट को अतिक्रमी मानकर सजा कर दी है, आदेश अवैधानिक है व काविल खारिजी के है। अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश तहसीलदार जी बयाना दिनांक 18.02.2021 को निरस्त फरमाने की प्रार्थना की है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत तहसीलदार बयाना के अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.02.2021 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व आधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत की गई है जिसका तहत अदालत को वखूबी अधिकार प्राप्त है। अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया था जिसकी पुष्टि तहत अदालत में मुकदमा नम्बर 148/2020 निर्णय दिनांक 11.09.2020 से होती है। अपीलान्ट को पूर्व में भी वेदखल किया गया था इस तरह यह साबित हो जाता है कि अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अपीलान्ट के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्याय संगत है। इसलिए तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश बखूबी न्याय संगत है। अन्त में पैरोकार अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.02.2021 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभयपक्ष के कथनों पर गौर किया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.02.2021 के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलान्ट ने आराजी खसरा नम्बर 1722 रकवा 5.25 है0 में से 0.40 है0 ग्राम खेरीडांग किस्म सिवायचक में सरसो (रवी) काश्त किये जाने पर अपीलान्ट को बेदखल एवं पैनल्टी तथा 90 दिवस की सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किये जाने की आज्ञा पारित की गई है। चूंकि विवादित आराजी की किस्म सिवायचक राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अपीलान्ट विवादित आराजी पर अतिक्रमी है जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के खिलाफ पूर्व में दायर मुकदमा संख्या 148/2020 से हो जाती है जिसका निस्तारण दिनांक 11.09.2020 को किया जाकर अपीलान्ट को मौके से बेदखल किया गया था। इस प्रकार अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आ जाता है। वकील अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत

तिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अदालत हाजा के समक्ष पेश नहीं किया जिससे पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के तथ्यों को आधारहीन होने की पृष्टि करते हो। तहसीलदार बयाना द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते है। अतः अपील काबिल खारिजी के रहती है।

अतः आदेश है कि:-

उपरोक्त विवेचनानुसार आपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ पत्रावली वातिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.07.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

नहीं कराया है.